संख्या- /2016/ /पांच-6-16-46(निर्माण)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद बलिया, गाजियाबाद, बागपत व महाराजगंज के 04 सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10943/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 01-12-2016 तथा शासनादेश संख्या-28/2016/2822/पांच-6-16-127(नि0)/12, दिनांक 27.01.2016, शासनादेश संख्या-2721/पांच-6-16-46(नि0)/16, दिनांक 23.11.2016 व शासनादेश संख्या-2526/पांच-6-16-46(नि0)/16, दिनांक 23.11.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त शासनादेश दिनांक 27.01.16 द्वारा प्राथ0/सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण की निर्धारित मानीकृत लागत के आधार पर जनपद बलिया में सामु0स्वा0केन्द्र, चितबड़ा गॉव, जनपद गजियाबाद में सामु0स्वा0केन्द्र, शाहपुर बम्बेहटा, जनपद बागपत में सामु0स्वा0केन्द्र डौला व जनपद महराजगंज में सामु0स्वा0केन्द्र सोहंगी बरवा कुल 04 सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रति सामु0स्वा0केन्द्र रू0-509.58 लाख की दर से कुल रू0-2038.22 लाख (रूपया बीस करोड अड़तीस लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति व प्रति सामु0स्वा0केन्द्र रू0-246.16 लाख की दर से कुल रू0-984.64 लाख (रूपया नौ करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-28/2016/2822/पांच-6-16-127(नि0)/12, दिनांक 27.01.2016, शासनादेश संख्या-2721/पांच-6-16-46(नि0)/16, दिनांक 23.11.2016 व शासनादेश संख्या-2526/पांच-6-16-46(नि0)/16, दिनांक 23.11.2016 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम0ओ0यू0 निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उपलब्ध कराये गये प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(7) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त सी0एच0सी0 सामान्य योजना से आच्छादित है। इनके लिये एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(10) प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। साथ ही चालू वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि नहीं छोड़ी जायेगी।

(11) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

(12) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(15) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104 सामु0स्वा0केन्द्र-05 नये सामु0स्वा0केन्द्रों के भवनों का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-20/दस-16 दिनांक 04 जनवरी 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-21 /2017/2904(1)/पाँच-6-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बलिया, गाजियाबाद, बागपत व महाराजगंज ।
(4) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
(5) अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) निदेशक (पी.एच.सी./सी.एच.सी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(8) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
(9) मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया, गाजियाबाद, बागपत व महाराजगंज ।
(10) प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0/उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), लखनऊ ।
(11) संबंधित परियोजना/क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0/ उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), बलिया, गाजियाबाद, बागपत व महाराजगंज । ।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/ चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(14) गार्ड फाइल।
(15) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- /2017/ /पांच-6-17-85(निर्माण)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 05 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में श्री राम चिकित्सालय, अयोध्या जनपद फैजाबाद परिसर में श्रेणी-4 के 12 नग, श्रेणी-2 के 12 नग, श्रेणी-1 के 12 नग, वाहय जल-मल कार्य तथा सड़क आदि कार्य कराये जाने के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-11386/17फ/नि0नि0अ0/2016-17 दिनांक 03.01.2017 शासनादेश संख्या-3010/पॉच-6-16-85(नि0)/16, दिनांक 30.12.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में श्री राम चिकित्सालय, अयोध्या जनपद फैजाबाद परिसर में श्रेणी-4 के 12 नग, श्रेणी-2 के 12 नग, श्रेणी-1 के 12 नग, वाहय जल-मल कार्य तथा सड़क आदि कार्य कराये जाने के लिये रू0 441.12 लाख (रूपया चार करोड़ इक्तालिस लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 220.56 लाख (रूपया दो करोड़ बीस लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(2) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम0ओ0यू0 निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(6) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(8) प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनिधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(10) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-42 जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 25 /2017/ 37A (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
4- अपर निदेशक, (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें , उ0प्र0, लखनऊ ।
7- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, 'उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 (यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0), फैजाबाद ।
10- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री राम चिकित्सालय, अयोध्या जनपद फैजाबाद ।
11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
13- विभागीय वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2017/ /पॉच-6-16-74(नि0)/14

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषयः- महराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली के उच्चीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के निर्गत वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 04.01.17 में संशोधन किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-27/2017/37/पॉच-6-16-74(नि0)/14, दिनांक 04.01.17 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 04.01.17 द्वारा महराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली के उच्चीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये रू0-3,33,82,750.00 (रूपया तीन करोड़ तैंतीस लाख बयासी हजार सात सौ पचास मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है लेकिन उक्त शासनादेश दिनांक 04.01.17 के प्रस्तर-1 में त्रुटिवश जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर उल्लिखित हो गया है।

2- अतएव उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 04.01.17 के प्रस्तर-1 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर के स्थान पर महराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली उल्लिखित किया जाता है।

इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 04.01.17 में जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर के स्थान पर महराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली पढ़ा समझा जाए। शेष शर्ते उक्त शासनादेश की यथावत रहेगी।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- 30 /2017/ 41 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2 महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3 वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।

4 जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली ।

5 निदेशक (नियोजन/बजट)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

6 अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

7 अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

8. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।

9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली ।

10. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली ।

11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।

12. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

13. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

14. विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव